Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

39-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 4, 2022 (PHALGUNA 13, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th March, 2022

No. 06-HLA of 2022/16/4335.— The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 06- HLA of 2022

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2022.

Substitution of section 128 of Haryana Act 24 of 1973.

2. For section 128 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:-

"128. Place/premises not to be used for certain purposes without licence.- (1) No person shall use or permit to be used any place/premises for any of the following purposes without or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted by the Committee in this behalf, namely:-

(a) keeping horses, cattle or other quadruped animals or birds for transportation, sale or hire or for sale of the produce thereof;

(b) any other purpose, as specified by the Government as dangerous to life, health or property or likely to create a nuisance.

(2) The Committee may impose such other conditions while granting licence, as it may deems necessary.

(3) Whoever without a licence uses any place/premises or contravene any of the conditions of licence shall be punishable with imprisonment for a term upto six months or with a fine which shall not be less than one thousand rupees but not more than five thousand rupees and with a further fine of one hundred rupees for every day during which the offence is continued.".

Omission of section 129 of Haryana Act 24 of 1973.

3. Section 129 of the principal Act shall be omitted.

Omission of section 130 of Haryana Act 24 of 1973.

4. Section 130 of the principal Act shall be omitted.

Insertion of section 131A in Haryana Act 24 of 1973.

5. After section 131 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"131A. Fee and time period for license.- Notwithstanding any provision of the Act or bye-laws made thereunder with regard to levy of fee by the Committee, for every licence, a fee may be charged as such rate and for such period, as may be specified by the Government from time to time.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The provisions of trade/business license have been made in the Haryana Municipal Act, 1973 (Act No. 24 of 1973) on the pattern of Punjab Municipal Act, 1911. Relevant Sections of the Haryana Municipal Act, 1973 provide the provisions relating to obtaining trade/business licenses and renewal thereof on yearly basis. Presently, all the Municipal Councils and Municipal Committees have the powers to fix rates of license fees after passing resolutions in their respective House Meetings. This practice has created anomalies in imposing trade license fees across the Municipalities of the State at variance with each other which is creating confusion among the public.Further, Municipal Councils and Municipal Committees are imposing licence fees on various trades even where trade licence is not mandatory.

2. It is inevitable to create uniformity in the trade license fees and make it uniform throughout all the Municipal Councils and Municipal Committees in the State. Besides, the business activities being carried out now have gone through a huge transformation as compared to trade/business activities which were being carried out during the year 1911. Municipality was the only Regulatory Authority at that time but now many Regulatory Authorities are in place such as Pollution Control Board, Industrial Safety & Health under the Factories Act, 1948 etc. Inflammable articles are also regulated under separate statute by the designated authority. As such, there is no justification to issue licences by the municipalities for such type of businesses which are regulated by other statutory authorities. Hence, the following steps are incumbent upon the Government to be taken up on urgent basis :-

   - Uniformity in trade/business license fee structure;
   - Empowering the Government to notify any purpose that is dangerous to life, health or property or likely to create a nuisance and fixation of period for renewal of trade licence; and
   - To omit/delete obsolete trade/business activities and eliminate the multiplicity of regulating authorities.

3. To ensure uniformityin the applicability of trade licences by restricting it to statutory activities as well as for the purposes which are specified by the Government as being dangerous to life, health or property or likely to create a nuisance and making similar provisions in this regard in both the Acts viz., Haryana Municipal Act, 1973 and Haryana Municipal Corporation Act, 1994, amendments are required to be carried out in the Haryana Municipal Act, 1973. This will be helpful in easing business practices in urban areas by eliminating the multiplicity of regulating authorities.

4. Hence, it is necessary to carry out amendments in the Haryana Municipal Act, 1973 (Act No. 24 of 1973) by way of enacting the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2022.

DR KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 4th March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 6–एच0एल0ए0

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 128 का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"128. अनुज्ञप्ति के बिना कतिपय प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किए जाने वाले स्थान/परिसर.– (1) कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए समिति द्वारा इस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों की अनुरूपता के बिना या अन्यथा से किसी स्थान/परिसरों का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिए अनुमत नहीं करेगा, अर्थात्:–

(क) घोड़ों, मवेशियों या अन्य चौपाया पशुओं या पक्षियों का परिवहन, विक्रय करने या भाड़े पर देने या उनके उत्पाद के विक्रय के लिए रखने हेतु;

(ख) कोई अन्य प्रयोजन, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो या जिससे उत्पात पैदा होने की सम्भवना हो।

(2) समिति अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकती है, जो यह आवश्यक समझे।

(3) जो कोई भी अनुज्ञप्ति के बिना किसी स्थान/परिसरों का उपयोग करता है या अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त की उल्लंघना करता है, तो छह मास तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने, जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु पाँच हजार रूपए से अनधिक होगा और अपराध के जारी रहने के दौरान प्रतिदिन के लिए एक हजार रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।"।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 129 का लोप।

3. मूल अधिनियम की धारा 129 का लोप कर दिया जाएगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 130 का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 130 का लोप कर दिया जाएगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 131क का रखा जाना।

5. मूल अधिनियम की धारा 131 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"131क. अनुज्ञप्ति के लिए फीस और समय सीमा.– समिति द्वारा फीस के उद्ग्रहण के संबंध में अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के किसी उपबंध के होते हुए भी, प्रत्येक अनुज्ञप्ति हेतु, ऐसी दर पर और ऐसी अवधि के लिए फीस प्रभारित की जा सकती है, जो सरकार, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस के प्रावधान पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के अनुरुप किये हुये हैं। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की सम्बन्धित धाराओं में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस प्राप्त करने व इनके वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करवाने का प्रावधान हैं। वर्तमान में नगर परिषद्ों एवं नगर पालिकाओं को अपने सदन की बैठकों में प्रस्ताव पास करके व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस की दर निर्धारित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इससे राज्य की नगर परिषद्ों एवं नगर पालिकाओं में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस का निर्धारण करने में भिन्नतायें हो गई हैं, जो जन–साधारण में भ्रांति उत्पन्न कर रहा हैं। इसके अतिरिक्त नगर परिषद्ों एवं नगर पालिकाओं द्वारा उन व्यवसायों पर भी लाईसैंस फीस लागू की जा रही हैं जहाँ पर व्यवसायिक लाईसैंस लिया जाना आवश्यक नहीं हैं।

2. यह अतिआवश्यक है कि राज्य की सभी नगर परिषद्ों एवं नगर पालिकाओं में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस की दर निर्धारित करने में एकरुपता हो। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में जो व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही है उनमें वर्ष 1911 की अवधि में किये जा रहे व्यवसायों से काफी भिन्नता हैं। उस दौरान केवल पालिका ही नियामक प्राधिकरण होती थी जबकि आज के समय में कई नियामक प्राधिकरणें जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि ने स्थान ले लिया हैं। अति ज्वलनशील सामग्रियाँ भी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अलग कानून के अंतर्गत विनियमित हैं। इस प्रकार अन्य वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा विनियम किये जाने वाले उद्योगों को नगर निगमों द्वारा भी लाईसेंस जारी करने का कोई औचित्य नहीं हैं। इसलिये, सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाये जाने आवश्यक हो गये हैं:–

   - व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस के ढ़ांचे की एकरुपता करना;
   - किन्हीं प्रयोजनों जोकि जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक है या जिससे उत्पात उत्पन्न करने की सम्भावना हो, को अधिसूचित करने तथा व्यवसायिक लाईसैंस के नवीनीकरण हेतु समयावधि निर्धारित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना; तथा
   - अप्रचलित व्यापार/व्यवसायिक गतिविधियों का लोप करना एवं नियामक प्राधिकरणों की बहुलता को समाप्त करना।

3. व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस की अनिवार्यता वैधानिक गतिविधियों के साथ–साथ सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे प्रयोजन जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो या जिससे उत्पात उत्पन्न करने की सम्भावना हो, तक लागू रखने तथा इस संदर्भ में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 एवं हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में समान प्रावधान करने के लिये, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया जाना वांछित हैं।यह नियामक प्राधिकरणों की बहुलता को समाप्त करके शहरी क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को आसान करेगा

4. इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) में हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 के द्वारा संशोधन किया जाये।

डॉ कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9512—H.V.S.—H.G.P., Pkl.